राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः F 61(200) SSAAT/ लोकपाल /2022–23/3135 जयपुर, दिनांक 08/08/2023

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त।

विषयः—नवनियुक्त लोकपाल को नरेगा योजना की जानकारी प्रदान कराने बाबत्।
संदर्भः—इस कार्यालय के पत्र कमांकः F 61(200) SSAAT/ लोकपाल /2022–23/516 जयपुर, दिनांक 11.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत 18 जिलो में लोकपाल का नियोजन इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः एफ 61(200)SSAAT/ लोकपाल नियुक्ति/ 2022–23/222 जयपुर, दिनांक 20.04.2023 एवं पत्रांक 1197 दिनांक 12.06.2023 द्वारा किया गया हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.12.2021 तथा संशोधित आदेश दिनांक 05 अगस्त 2022 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के कियान्वन से सम्बंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिए लोकपाल का नियोजन किया गया है।

अतः नवनियुक्त लोकपाल को नरेगा योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी मय नरेगा कार्यो का भौतिक निरीक्षण इत्यादि प्रदान कराने का श्रम करे। इसके अतिरिक्त लोकपाल कार्यालय की स्थापना करते हुए इससे सम्बंधित जानकारी सभी Block तथा Village स्तर पर प्रदर्शित करे ताकि आमजन को लोकपाल एवं उनके कार्यो की जानकारी हो।

अतः इस सम्बंध में आपके जिले में स्थापित लोकपाल व्यवस्था को सुदृढ बनाने हेतु जिले में सूचना, शिक्षा, संचार (आई.ई.सी.) करवाये एवं प्रगति से सोसायटी को अवगत करावे।

31/7

(संदीप चौहान)
निदेशक

क्रमांकः एफ 61(222)SSAAT /लोकपाल/झुंझुनु/2022–23 /3136-38 जयपुर, दिनांक 08/08/2023
प्रतिलिपीः—

1. अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय ईजीएस, जिला परिषद अजमेर, बांरा, बूंदी, चितौडगढ, चूरु, धौलपुर, जोधपुर, झालावाड, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर, दौसा एवं कोटा को पालनार्थ।
2. जिला अजमेर, बांरा, बूंदी, चितौडगढ, चूरु, धौलपुर, जोधपुर, झालावाड, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर, दौसा एवं कोटा के लोकपाल मनरेगा राज0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. निजि सचिव, आयुक्त नरेगा को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप निदेशक

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः F 61(200) SSAAT/ लोकपाल आवेदन जांच /2022–23/3131 जयपुर, दिनांक 08/08/2023

जिला कलेक्टर एवं जिला
कार्यक्रम समन्वयक ई.जी.एस.
जिला परिषद अजमेर, बांरा, बूंदी, चितौडगढ, चूरु, दौसा,
धौलपुर, जोधपुर, झालावाड, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ,
सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर, कोटा।

विषयः– लोकपाल कार्यालय की व्यवस्था बाबत्।
संदर्भः– इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः F.61(200) SSAAT/ लोकपाल आवेदन जांच /2022–23/ 352 जयपुर, दिनांक 01.05.2023, पत्र क्रमांकः 1079 दिनांक 06.06. 2023 एवं पत्र क्रमांकः 1613 दिनांक 05.07.2023

महोदय,

राज्य सरकार से अनुमोदन उपरांत 17 जिलों में लोकपाल नियुक्ति का आदेश कमांक F(61)200/SSAAT/लोकपाल नियुक्ति/2022–23/222 दिनांक 20.04.2023 द्वारा एवं दौसा जिले के लिए लोकपाल नियुक्ति के आदेश कमांक 1197 दिनांक 12.06.2023 जारी किये गये है तथा प्राप्त सूचना के अनुसार सभी 18 जिलो में लोकपाल द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के कियान्वयन के सम्बंध मे प्राप्त होने वाली विभिन्न शिकायतो एवं अभाव अभियोजना के निराकरण के सम्बंध मे प्रभावी कार्यप्रणाली विकसित किंये जाने हेतु लोकपाल व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है।

लोकपाल व्यवस्था की स्थापना हेतु कृपया भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.03.2023 (संलग्न) द्वारा जारी गाइडलाईन का अध्यन करे। क्लॉज 4, 4.1, 4.2, एवं 4.5 लोकपाल के पारिश्रमिक भुगतान बावत्, क्लॉज 6, 6.1 एवं 6.2 लोकपाल कार्यालय को स्थापित करने एवं प्रशासनिक व्यवस्था बावत् तथा क्लॉज 7, 7.1 एवं 7.2 उनके लिये टी.ए. डी.ए. ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था, कार्यालय व्यय एवं बैठक शुल्क बावत का निम्नानुसार प्रावधान अंकित है।

4. **Remuneration**

4.1 Subject to any notification by the State Government, the Ombudsman shall be allowed Compensation, in the form of a fee, of Rs. 2250/- (Two thousand two husband fifty) per sitting
with maximum upper limit of Rs.45000/-(Forty five thousand) per month.

4.2 sitting means per day functioning, irrespective of number of cases handled and its duration in the terms of working hours. A sitting could be for a part a day also. All sittings should be properly documented and should be justified by the work discharged. The frequency of sitting by Ombudsman shall be need based and cannot be fixed. The place of sitting may be desided by the Ombudsman taking into consideration the concenience of MGNREGAS workers concerned.

4.5 Wherever Ombudsman wants to visit any part of the district for the purpose of conducting Field enquiry, the DPC shall provide suitable transport facility.

6. **Location of Office and Administrative Support**

6.1 The Office of MANREGA Ombudsman shall be located at the District Headquarteters.

6.2 Technical and administrative support will be provided by the DRDA or any other body

Scanned with CamScanner

specified the State Government in this behalf. All necessary support to enable the Ombudsaman to carry out the assigned functions, including support staff, office equipments, complaints box, and telephone helpline etc. shall be provided to the Ombudsman by the district authority specified by the State Government. The State Government shall provide necessary legal support to cases in Courts relating to actions taken in capacity by the Ombudsman.

7. **TA/DA and Transport**

7.1 TA/DA at rates admissible to class-1 officers of the States Government may be allowed. State Government may provide a vehicle from its local pool to an Ombudsman for official purpose as per need. However, no new vehicle can be purchased for the use of Ombudsman from MGNREGA fund. In case of travel by Ombudsman in his/her own or hired vehical for official purpose, district concerned may reimburse the cost of travel, at the rates fixed by the State Government.

7.2 Office expenditure, sitting fee and TA/DA etc. incurred on the office of Ombudsman shall be borne by States from 6% administrative expenditure permitted under section 22.(1) (C) of the MANREGA .

भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन दिनांक 20.03.2023 की प्रति सलंग्न कर निवेदन है कि लोकपाल कार्यालय को स्थापित करने तथा समय–समय पर उन्हे बैठक शुल्क एवं भत्ते आदि दिये जाने हेतु गाइडलाईन के प्रावधानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। **साथ ही अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को गाईड लाईन्स के अनुसार लोकपालो को उपलव्ध करवायी गयी सुविधाओ से अवगत कराना सुनिश्चित करे।**

संलग्नः उपरोक्तानुसार

31/7

(संदीप चौहान)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

क्रमांकः F 61(200) SSAAT/ लोकपाल आवेदन जांच /2022–23/3132-34 जयपुर, दिनांक 08/8/23

प्रतिलिपीः–

1. अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय ईजीएस, जिला परिषद अजमेर, बांरा, बूंदी, चितौडगढ, चूरु, दौसा, धौलपुर, जोधपुर, झालावाड, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर एवं कोटा को पालनार्थ।
2. जिला अजमेर, बांरा, बूंदी, चितौडगढ, चूरु, दौसा, धौलपुर, जोधपुर, झालावाड, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर एवं कोटा के लोकपाल मनरेगा राज0 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. निजि सचिव, आयुक्त नरेगा को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपनिदेशक

Scanned with CamScanner